बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–04.09.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
3. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4. सचिव, जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग
5. सचिव, ऊर्जा विभाग
6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
7. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
8. निदेशक, कृषि विभाग
9. निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग
10. उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

दक्षिण–पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :–

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में राज्य में वर्षापात सामान्य से 20 प्रतिशत कम है। अगले 15 दिनों तक राज्य में वर्षापात की संभावना नहीं है।

2. कृषि विभाग

निदेशक, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 96.87 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 89.66 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ–साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है। डीजल सब्सिडी के रूप में 8.47 करोड़ का वितरण किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की खड़ी फसलों को बचाने हेतु डीजल सब्सिडी के वितरण की कार्रवाई में तेजी लाया जाए तथा जिन क्षेत्रों में वर्षापात की स्थिति अच्छी नहीं है तथा आच्छादन की स्थिति अच्छी नहीं है उन क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जाए। बाँके के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रखंडवार आच्छादन प्रतिवेदन एवं वर्षापात का प्रतिवेदन अपने विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर सतत निगरानी रखा जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 10242 राजकीय नलकूपों के विरूद्ध मात्र 3081 नलकूप ही कार्यरत है। जिससे वर्त्तमान में 13265.95 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया है। विद्युत दोष के कारण 676 नलकूप बंद हैं, बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। नाबार्ड फेज–08 एवं नाबार्ड फेज –11 के ऊर्जान्वित नलकूपों को चालू कराने हेतु सभी प्रमंडलों से जाँचित प्राक्कलन प्राप्त हो गया है, जिसके आलोक में 8539.29 लाख रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मति एवं Channels की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए एवं नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत की आपूर्त्ति की जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि कुल 94699 चापाकल गाड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध 17107 चापाकल गाड़ा जा चूका है तथा कुल 94695 चापाकल मरम्मति लक्ष्य के विरूद्ध 59606 चापाकल की मरम्मति की जा चूकी है। विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू–जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह अगस्त 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू–जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। माह अगस्त 2014 की तुलना में राज्य के दक्षिणी भाग के भी किसी भी जिले में औसत भू–जलस्तर की गिरावट नहीं पायी गई है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में अगस्त 2014 की तुलना में किसी भी जिले में भू–जलस्तर में गिरावट की सूचना नहीं है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवतापूर्ण पेयजल

की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मति करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु शिविरो के स्थापना हेतु 1640 स्थालों का चयन कर लिया गया है एवं पशुचारे की कोई कमी नहीं है। 10 प्रकार पशु दवाओं का क्रय किया जा चूका है एवं टीकाकरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि पशु शिविरों हेतु चयनित स्थलों के पास पशुओं के पेयजल हेतु जल के स्रोत उपलब्ध है अथवा नहीं इसकी जॉच करा ली जाए।

7. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 197880 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 10000 तथा 2500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्त्तमान में कुल 112000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 9000 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 1000 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 9000 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 2000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 13350 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 3650 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 9700 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि जलाशयों में जल भंडारण की पूर्व की स्थिति से सुधार है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:—

क्र0	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक—28.08.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक—04.09.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	499.10	496.80
2	बदुआ	89000	419.90	418.30
3	ओढ़नी	33550	405.60	405.60
4	ऑजन	20030	404.40	403.00
5	बेलहरना	11805	453.70	452.50
6	खड़गपुर झील	13200	221.60	222.20
7	विलासी	23400	295.50	295.00
8	मोरवे	10800	269.40	271.60
9	नागी	7700	432.60	431.80
10	गरही जलाशय	68500	548.30	546.60
11	कोहिरा	22210	323.80	316.80
12	बटाने	48600	732.00	732.00

13	फुलवरिया	41563	586.00	586.00
14	नकटी जलाशय	11320	446.30	446.00

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति

क्र0	नहर प्रणाली का नाम	सिंचाई लक्ष्य (हे0 में)	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक–28.08.15 तक	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में दिनांक–04.09.15 तक
(क)	सोन नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी सोन नहर प्रणाली	148450	143524	145834
2.	पश्चिमी सोन नहर प्रणाली	399922	360203	360203
(ख)	कोशी नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	377565	296832	296833
2.	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	41384	26015	26015
(ग)	गंडक नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	331684	302368	302368
2.	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	165846	140948	151329
(ध)	अन्य योजनाएं :–	453490	294687	340782
	कुल	1918341	1564577	1623384

सचिव , जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सोन नदी में पानी कम है एवं जिसके लिए बाणसागर जलाशय से 5 हजार घनसेक जलश्राव की मांग की गई है। वर्तमान में राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित है तथा बाढ़ से तटबंधों को बचाने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नहरों की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मति भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

8. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत 88 लाख मैनडेज सृजित हो गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कितने पेड़ लगे हैं, इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा जिन क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाए तथा मैनडेज बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9. **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

मुख्य सचिव द्वारा वर्त्तमान में सीतामढ़ी, पूर्णियाँ एवं शिवहर जिले में कम वर्षापात की स्थिति के आलोक में विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु पूर्व में विभिन्न जिलों में निर्मित आश्रय स्थलों की भौतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया।

जिन 19 जिलों यथा अररिया, भोजपुर, गया, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण में वर्षापात का विचलन 19 प्रतिशत से अधिक है उन जिलों के संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को फसल आच्छादन, वर्षापात, भू–गर्भ जल की स्थिति, सिंचाई की स्थिति एवं डीजल अनुदान की वितरण की स्थिति की जांच करा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया। साथ ही डीजल अनुदान के वितरण में खासकर संबंधित जिलों के किसानों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के विरुद्ध निष्पादित आवेदनों की संख्या एवं राशि वितरण की भी समीक्षा संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से कराने का निदेश दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्तो से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त यथानुसार संबंधित जिले के प्रभारी सचिवों से उन जिलों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 11.09.2015 को 5.30 बजे अपराह्न आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 3463/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 8/9/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

8/9/15
विशेष सचिव